

[2024] 4 एससीआर 308: 2024 आईएनएससी 284

विपिन साहनी और एक अन्य

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो

(आपराधिक अपील संख्या 1980/2024)

08 अप्रैल 2024

[न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार]

विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को धारा 397 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका के रूप में परिवर्तित करने या वैसा व्यवहार करने/मानने का अधिकार है।

हेडनोट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 482 और 397- सीआरपीसी की धारा 239 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अपीलकर्ताओं को आरोपमुक्त कर दिया- सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया- उच्च न्यायालय ने आरोपमुक्त करने के आदेश को अपास्त कर दिया और विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया- अपीलार्थियों ने उक्त आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपील दायर की- उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभिनिर्धारित किया: जब सीआरपीसी की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण का विशिष्ट उपचार उपलब्ध है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था – सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका को पुनरीक्षण के विकल्प के रूप में दायर नहीं किया जा सकता है। [पैरा 25]

दंड संहिता, 1860- आपराधिक षड्यंत्र- दो या दो से अधिक व्यक्ति i) कोई अवैध कार्य ii) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं- अपराध करने के लिए समझौते के अलावा कोई भी समझौता आपराधिक षड्यंत्र के समान होगा – धोखाधड़ी- धोखाधड़ी के लिए कोई कार्य और इस तरह बेईमानी से प्रस्तुत करते समय या वादा करते समय धोखाधड़ी या बेईमान इरादे से किसी भी संपत्ति को देने के लिए प्रेरित किया जाता है।

अभिनिर्धारित किया: आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध बनाने के लिए एक अनिवार्य तत्व धोखाधड़ी करने का कोई कार्य या एक आंशिक कार्य है और इस तरह बेईमानी से प्रस्तुत करते समय या वादा करते समय धोखाधड़ी या बेईमान इरादे से किसी भी संपत्ति को देने के लिए प्रेरित किया जाता है और इस तरह के दोषी इरादे को करार करते समय होना चाहिए- धोखाधड़ी के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व हैं (i) किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन दिया जाना चाहिए; (ii) (क) इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, या इस बात पर सहमति दी जानी चाहिए कि कोई व्यक्ति कोई संपत्ति बनाए रखेगा; या (ख) इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा कुछ करने या लोप करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जो वह नहीं करेगा या लोप करेगा यदि उसे ऐसा धोखा नहीं दिया जाता; और (iii) (ii)(ख) के दायरे में आने वाले मामलों में, कार्य या लोप ऐसा होना चाहिए जो शरीर, मन, प्रतिष्ठा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

या संपत्ति में प्रेरित व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाता हो या पहुंचाने के लिए संभाव्य हो। [पैरा 9, 10, 19, 20 और 26]

न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब शिकायत के निवारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया हो।

अभिनिर्धारित किया गया: परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 131 के अनुसार, धारा 397 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण दायर करने की परिसीमा अवधि 90 दिन है- हालांकि, धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है - यह सुस्थापित है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग सामान्य रूप से तब किया जा सकता है जब संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिसके तहत आक्षेपित आदेश को चुनौती दी जा सकती है- जब उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण कानूनी रूप से संस्थित किया जाता है, लेकिन उसके बाद उसे किसी अन्य आधार पर पोषणीय नहीं पाया जाता है, तो उस मामले में न्याय प्रदान करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका के रूप में इसे मानने के लिए उच्च न्यायालय स्वतंत्र होगा- हालांकि, यह विपरीत सादृश्यता सभी मामलों में लागू नहीं हो सकती है और उच्च न्यायालय के पास यह विकल्प नहीं होगा कि वह धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका को परिसीमा सहित अन्य मुद्दों के संदर्भ के बिना धारा 397 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका के रूप में आंख मूंदकर परिवर्तित करे या मान ले। [पैरा 23 और 25]

उद्धृत केस लॉ

राम जस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1971] 2 एससीआर 178: (1970) 2 एससीसी 740; वी. पी. श्रीवास्तव बनाम इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अन्य [2010] 11 एससीआर 788: (2010) 10 एससीसी 361- का अनुसरण किया गया।

मोहित उर्फ सोनू और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य [2013] 7 एससीआर 86: (2013) 7 एससीसी 789- पर अवलम्ब लिया।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860; एआईसीटीई अनुमोदन प्रक्रिया 2006.

मुख्य शब्दों की सूची

न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, पुनरीक्षण, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, उन्मोचन।

मामला निम्न से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 1980/2024

ए482 संख्या 11426/2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.01.2023 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्तागण मुकुल रोहतगी, जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, समीर रोहतगी, अजय सिंह, सुश्री अलका सिन्हा, अनुव्रत शर्मा।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्तागण विक्रमजीत बनर्जी, एसजी, मुकेश कुमार मारोरिया, पद्मेश मिश्रा, अर्काज कुमार, अनुकल्प जैन, सुश्री बानी दीक्षित, मेरुसागर सामंताराय।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति संजय कुमार,

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. सीआरपीसी की धारा 239 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई कोर्ट, गाजियाबाद ने पुलिस स्टेशन सीबीआई, ईओ -1, नई दिल्ली की फाइल पर पंजीकृत आरसी-219 2011(ई)0016 से उत्पन्न वाद संख्या 456/2012 में 31.08.2019 के आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 और 120 ख के तहत आरोप से वर्तमान अपीलकर्ताओं को उन्मोचित कर दिया। इससे व्यथित होकर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में, 'सीबीआई') ने आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या 11426/2021 के माध्यम से धारा 482 सीआरपीसी के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसमें पारित दिनांक 20.01.2023 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उन्मोचन आदेश को रद्द कर दिया और विद्वान मजिस्ट्रेट को अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उक्त आदेश को चुनौते देते हुए, वे इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।

3. अपीलकर्ताओं ने सनशाइन एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना की थी और इसे वर्ष 2004 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत किया था। इस सोसायटी के उद्देश्यों और प्रयोजनों में अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा का प्रसार भी शामिल था। अपीलार्थी संख्या 1 उक्त सोसायटी के अध्यक्ष थे जबकि उनकी पत्नी, अर्थात् अपीलकर्ता संख्या 2 इसकी सचिव थीं। सितंबर, 2006 में सोसायटी ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से शैक्षणिक संस्थानों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की स्थापना के लिए 90 साल के पट्टे पर ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 4,90 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। सोसायटी ने पट्टे पर दी गई भूमि में से एक एकड़ की सीमा में व्यवसाय प्रबंधन (पीजीडीएम) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराने वाले 'बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली' की स्थापना के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की मंजूरी के लिए दिनांक 22.01.2007 को आवेदन किया। आवेदन में, सोसायटी ने प्रकट किया कि इसने निगम बैंक से 5.75 करोड़ रुपये का ऋण लिया था और बकाया ऋण 3 करोड़ रुपये से अधिक था। इसने खंड 6 (वी) के जवाब में 'हां' बॉक्स पर टिक करके यह भी प्रकट किया कि भूमि के सापेक्ष ऋण/बंधक किया गया था। हालाँकि, पहले पृष्ठ में सारणीबद्ध रूप में, प्रश्न के सापेक्ष- 'बैंक से बंधक- हाँ/नहीं', उत्तर 'नहीं' के रूप में दिया गया था। इस प्रकार, आवेदन में ही एक स्पष्ट विरोधाभास था। किसी भी स्थिति में, एआईसीटीई द्वारा 'बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली' शुरू करने के लिए 17.08.2007 को मंजूरी दी गई थी।

4. इसके बाद, सोसायटी ने एआईसीटीई को 27.10.2007 को एक और आवेदन दिया, जिसमें पीजीडीएम पाठ्यक्रम की पेशकश करते हुए 'महिलाओं के लिए बिजनेस स्कूल' स्थापित करने की मांग की गई। एक दिन बाद, 28.10.2007 को, सोसायटी ने 'इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली' नामक एक तीसरा संस्थान शुरू करने के लिए एआईसीटीई से मंजूरी लेने के लिए एक और आवेदन दाखिल किया। पहले और तीसरे आवेदन सोसायटी की ओर से अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा इसके अध्यक्ष के रूप में दाखिल किए गए थे, जबकि दूसरा आवेदन अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा इसके सचिव के रूप में दायर किया गया था। बाद के दो आवेदनों में, सोसायटी यह उल्लेख करने में विफल रही कि पट्टे पर दी गई भूमि को बंधक रखा गया था, लेकिन इसने इस तथ्य का खुलासा किया कि उसे उसी परिसर से एक अन्य संस्थान के संचालन के लिए वर्ष 2007 में पहले ही मंजूरी दे

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दी गई थी। दिनांक 29.05.2008 की कार्यवाही द्वारा, एआईसीटीई ने उक्त भूमि में से 0.8 एकड़ के क्षेत्र में 'महिलाओं के लिए बिजनेस स्कूल' शुरू करने की मंजूरी दी। 19.06.2008 को, एआईसीटीई ने पट्टे पर दी गई भूमि में 'इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली' शुरू करने की मंजूरी दी।

5. हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त को एक गुमनाम शिकायत की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एआईसीटीई के अधिकारियों ने सोसायटी का अनुचित पक्ष लिया था। इसके आधार पर, मुख्य सतर्कता आयुक्त ने मामले को जांच के लिए सीबीआई को भेज दिया। पहली बार में, कानपुर में सीबीआई के क्षेत्रीय अधिकारी ने जांच के लिए मामला दर्ज करने के लिए ग्रेटर नोएडा पुलिस स्टेशन के प्रभारी को पत्र लिखा, लेकिन उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की जिला पुलिस ने मत व्यक्त किया कि शिकायत प्राथमिकी दर्ज करने और/या विवेचना के साथ कार्यवाही करने के लिए उचित नहीं है क्योंकि कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया था।

6. हालाँकि, 30.11.2011 को, मामला अपराध संख्या 219 2011 (ई) 0016 पीएस सीबीआई, ईओ -1, नई दिल्ली की फाइल पर धारा 420 और 120 ख आईपीसी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ धारा 13 (1)(घ) के तहत पंजीकृत किया गया था। यह प्राथमिकी अपीलार्थियों और एआईसीटीई के अनाम अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थियों ने एआईसीटीई अनुमोदन प्रक्रिया 2006 की धारा 4.2 (iii) का उल्लंघन करते हुए एआईसीटीई से धोखे से अनुमोदन प्राप्त किया था। इस प्रावधान के अनुसार, एक शैक्षणिक संस्थान शुरू करने के लिए स्वीकृत भूमि पर भार नहीं डाला जाना चाहिए। जाँच पूरा होने के बाद, आईपीसी की धारा 420 और 120 ख के तहत अपराधों के लिए सीबीआई द्वारा आरोप पत्र संख्या 11/2012 दाखिल किया गया, जिसमें केवल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलार्थियों को आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। एआईसीटीई के किसी भी अधिकारी पर सोसायटी के संस्थानों को मंजूरी देने में आपराध का आरोप नहीं लगाया गया था।

7. अपने आरोप से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए, आवेदन अन्तर्गत 482 संख्या 37398/2012 के माध्यम से, धारा 482 सीआरपीसी के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिनांक 14.02.2013 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और उक्त कार्यवाही को रद्द कर दिया। हालाँकि, दाण्डिक अपील संख्या 239/2015 में, सीबीआई द्वारा इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर, उसमें पारित 05.02.2018 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने दिनांक 14.02.2013 के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि निचली अदालत आरोप तय करने के चरण में उठाए गए मुद्दे के गुण-दोष में जाने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके बाद, 02.07.2018 को, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को जमानत दे दी।

8. 25.09.2018 को, अपीलार्थियों ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई अदालत, गाजियाबाद के समक्ष उन्मोचन के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 15.02.2019 के आदेश द्वारा उनकी याचिका को खारिज कर दिया और मामले को आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इसके बाद अपीलार्थियों ने धारा 397 सीआरपीसी के तहत गाजियाबाद के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 101/2019 दायर किया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29.05.2019 के आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण की अनुमति दी गई थी, जिसके तहत विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और पुनरीक्षण आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वापस भेज दिया गया था। परिणामस्वरूप, विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले की फिर से सुनवाई की और अपीलार्थियों को आईपीसी की धारा 420 और 120 ख के तहत कथित अपराध से उन्मोचित करते हुए दिनांक 31.08.2019 का आदेश पारित किया। इस उन्मोचन आदेश के पारित होने के लगभग डेढ़ साल बाद, यानी 21.02.2021 को, सीबीआई ने इसे चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर की। याचिका को धारा 482 के अन्तर्गत आवेदन संख्या 11426/2021 के रूप में फाइल पर लिया गया था और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से इसकी अनुमति दी, जिससे वर्तमान अपील की गई।

9. इससे पहले कि हम गुण-दोष पर मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, हम पहले प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों पर ध्यान दें सकते हैं। आईपीसी की धारा 415 'धोखाधड़ी' को परिभाषित करती है और यह इस प्रकार है:-

'415. छल/धोखाधड़ी-

जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति-संबंधी, या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी संभाव्य है, वह "छल" करता है, यह कहा जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्पष्टीकरण- तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अंतर्गत प्रवंचना है।’

आईपीसी की धारा 420, जिससे हमारा वर्तमान में संबंध हैं, निम्नानुसार है:-

‘420. छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना-

जो कोई छल करेगा, या तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।’

आईपीसी की धारा 120 क और 120 ख इस प्रकार हैं:-

‘120 क. आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा-

जब कि दो या अधिक व्यक्ति-

1. कोई अवैध कार्य, अथवा

2. कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा,

करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है:

परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

‘120 ख. आपराधिक षड्यंत्र का दण्ड—

1. जो कोई मृत्यु, [आजीवन कारावास] या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

2. जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी, या जमाने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।’

10. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध बनाने की अनिवार्यता, अपीलार्थियों की ओर से धोखाधड़ी करने और इस तरह बेईमानी से धोखा दिए गए व्यक्ति अर्थात् एआईसीटीई किसी संपत्ति को परिदत्त करने के लिए प्रेरित करने का कार्य है। इसलिए अपीलकर्ताओं को सोसायटी के लिए और उसकी ओर से आवेदन करते समय या तो सारवान जानकारी को दबाया जाना चाहिए या गलत जानकारी पेश की जानी चाहिए ताकि एआईसीटीई को अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुमोदन देने के लिए इस तरह के बेईमान तरीकों से प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा, चूंकि एआईसीटीई के किसी भी अधिकारी को अपराध में नहीं फंसाया गया है, इसलिए आरोप पत्र के अनुसार, आईपीसी की धारा 120 ख के तहत कथित 'आपराधिक षड्यंत्र' भी केवल अपीलकर्ताओं पर होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. इस संदर्भ में, हम ध्यान दे सकते हैं कि 'बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली' शुरू करने के लिए अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत 22.01.2007 के पहले आवेदन में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि लगभग 5 एकड़ पट्टे पर दी गई भूमि का एक हिस्सा इस संस्थान की स्थापना के लिए उपयोग किया जाना था और निगम बैंक से 5.75 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया गया था। चुकाने योग्य बकाया ऋण भी 3 करोड़ रुपये से ऊपर दिखाया गया था। आवेदन के खंड 6 में 'भूमि' के बारे में बताया गया था और इसके तहत कहा गया था कि सरकार की लगभग 5 एकड़ पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग कॉलेज की स्थापना के लिए किया जाना था। आवेदन के खंड 6(v) और उस पर सोसायटी के जबाब को नीचे उद्धृत किया गया है।

'(v) भूमि के स्वामित्व के विरुद्ध किया गया कोई भी ऋण/बंधक

हाँ ✓

नहीं '✓

12. इसके अलावा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, एआईसीटीई ने इस संस्थान को शुरू करने के लिए 17.08.2007 को मंजूरी देना उचित समझा। यह एआईसीटीई की 'अनुमोदन प्रक्रिया 2006' के बावजूद था जिसमें प्रावधान किया गया था कि भूमि को किसी भी भार से मुक्त, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख को या उससे पहले आवेदक की सोसायटी/ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत किया जाना चाहिए था। हालाँकि, एआईसीटीई के किसी भी अधिकारी को किसी भी गलत काम में नहीं अभियोजित किया गया है।

13. 'बिजनेस स्कूल फॉर विमेन' के लिए सोसायटी के दूसरे आवेदन पर आते हैं, खंड 6 के सापेक्ष 5 एकड़ की समान सीमा दिखाई गई थी, लेकिन बकाया बैंक ऋण को सुरक्षित करने के लिए भूमि के बंधक का खुलासा नहीं किया गया था। खंड 6(v) के तहत, सोसायटी यह कहने में विफल रही कि भूमि के स्वामित्व के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

खिलाफ ऋण/बंधक उठाया गया था और 'हां' के बजाय 'नहीं' का टिक-मार्क किया गया था। इसी तरह, 'इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली' शुरू करने के लिए आवेदन में भी 5 एकड़ भूमि का उल्लेख किया गया था, लेकिन फिर से, खंड 6 (v) में इस सवाल के सापेक्ष गलत जानकारी थी कि क्या भूमि के स्वामित्व के विरुद्ध कोई ऋण/ बंधक किया गया था। 'हां' के बजाय 'नहीं' शब्द पर टिक-मार्क किया गया था।

14. ये वे कार्य हैं जिन्होंने अपीलार्थियों के खिलाफ सीबीआई के मामले की नींव रखी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, एआईसीटीई ने यह दावा नहीं किया था कि उसे धोखा दिया गया था और सोसायटी की ओर से कार्य करने वाले अपीलार्थियों द्वारा सारवान जानकारी छिपाने के कारण मंजूरी देने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया गया था। यह एक गुमनाम तीसरा पक्ष था जिसने जांच शुरू किया। इसके अलावा, आरोप पत्र में एआईसीटीई के किसी भी अधिकारी को शामिल नहीं करके और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को हटाकर, सीबीआई ने पाया कि एआईसीटीई के अधिकारी बिल्कुल भी शामिल नहीं थे और उन्हें क्लिन चिट दे दी गई थी।

15. इस स्तर पर, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि यद्यपि अपीलकर्तागण शुरू में उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही को रद्द कराने में सफल रहे थे, लेकिन इस न्यायालय ने उक्त आदेश को उलट दिया, लेकिन आरोप तय करते समय उठाए गए मुद्दे की गुण-दोष के आधार पर जांच करने के लिए इसे निचली अदालत के लिए अनुत्तरित छोड़ दिया। यह इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार है कि विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई न्यायालय, ने धारा 239 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने का विकल्प चुना और अपीलार्थियों को उन्मोचित कर दिया। इसके प्रयोग की वैधता पर उच्च न्यायालय के समक्ष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सवाल उठाया गया था, जिसने अंततः अपीलार्थियों के खिलाफ फैसला सुनाया था।

16. उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय अपीलार्थियों द्वारा इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं था कि सीबीआई को उन्मोचन आदेश के खिलाफ धारा 397 सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण दायर करना चाहिए था और धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका नहीं कर सकता था। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह हमेशा धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका को धारा 397 सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण के रूप में मान सकता है और इसलिए अपीलार्थियों की आपत्ति में कोई सार नहीं था। गुण-दोष पर, उच्च न्यायालय ने राय दी कि अपीलकर्ताओं ने जानबूझकर प्रासंगिक जानकारी को पूरी तरह से जानते हुए छिपा लिया था कि यदि भूमि पर किसी भी तरह से भार था, तो वहां शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमोदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसा मानते हुए, उच्च न्यायालय ने उन्मोचन आदेश को रद्द कर दिया।

17. हालाँकि, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थियों द्वारा जानकारी को जानबूझकर छिपाए जाने के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को दिए गए तथ्यों पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह अभिलेख की बात है कि सोसायटी की ओर से अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर पहले आवेदन दिनांक 22.01.2007 में खुलासा किया गया है कि एक बैंक ऋण अभी भी बकाया था और यह कि लगभग 5 एकड़ की प्रश्रुत भूमि को ऋण सुरक्षित करने के लिए बंधक रखा गया था। इसके बाद एआईसीटीई के अधिकारियों द्वारा जांच और सत्यापन किया गया, जिसमें एक स्थल निरीक्षण भी शामिल था, जिसके बाद 17.08.2007 को 'बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली' शुरू करने की मंजूरी दी गई। इस संबंध में एआईसीटीई के अधिकारियों को कोई गलत कार्य करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। यह केवल 'बिजनेस स्कूल फॉर विमेन' के लिए बाद में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

27.10.2007 दिनांकित आवेदन और 'इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली' के लिए 28.10.2007 दिनांकित आवेदन था जिसमें बकाया बैंक ऋण और उसके संबंध में भूमि के बंधक के संबंध में सही जानकारी नहीं दी गई थी। हालाँकि, तीनों आवेदनों में लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और एआईसीटीई को इस तथ्य से अनजान नहीं कहा जा सकता है कि आवेदन किए जाने के समय उक्त भूमि पर भार था। विशेष रूप से, बाद के दोनों आवेदनों में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि एक संस्थान को पहले ही 2007 में उसी परिसर से काम करने की मंजूरी दी जा चुकी थी। यह स्पष्ट रूप से 'बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली' के संदर्भ में था और इसके लिए आवेदन में ऋण होने और भूमि पर भार का खुलासा किया गया था।

18. इसके अलावा, यह एआईसीटीई का मामला भी नहीं था कि वह किसी भ्रम में था, जिसके तहत उसे प्रश्रुत कालेजों की स्थापना के लिए मंजूरी देने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया गया था। एकमात्र पक्ष जो 'कुछ करने या न करने के लिए बेईमानी से प्रेरित' होने की बात कर सकता है, वह स्वयं वह पक्ष है और जब एआईसीटीई ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की, तो कोई और यह आक्षेप नहीं कर सकता था कि एआईसीटीई को बेईमानी से कुछ करने के लिए प्रेरित किया गया था।

19. **राम जस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**¹ में, धोखाधड़ी के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक अवयव को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था:—

"(i) किसी व्यक्ति को धोखा देकर धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रलोभन दिया जाना चाहिए;

(ii) (क) इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, या इस बात पर सहमति

1 [1971] 2 एससीआर 178: (1970) 2 एससीसी 740

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व्यक्त की जानी चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति को अपने पास रखेगा; या

(ख) इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा कुछ करने या लोप करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जो वह नहीं करता या लोप करता यदि उसे इस तरह से धोखा नहीं दिया जाता; और

(iii) (ii)(b) के दायरे में आने वाले मामलों में, कार्य या लोप वह होनी चाहिए जो शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में प्रेरित व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाती हो या होने की संभावना हो।'

20. वी.पी. श्रीवास्तव बनाम इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और अन्य² में, इस अदालत ने कहा कि धोखाधड़ी के अपराध का गठन करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त का अभ्यावेदन या वादा करते समय धोखाधड़ी या बेईमान इरादा था और करार करते समय ऐसा दोषपूर्ण इरादा होना चाहिए। तथ्यों पर, यह पाया गया कि जिस पक्ष पर धोखाधड़ी का शिकार होने का आरोप लगाया गया था, वह उस समय की स्थिति से पूरी तरह से अवगत थी जब उसने अनुबंध करने का फैसला किया था और कोई बेईमान प्रलोभन नहीं था।

21. इस मामले में, इस तथ्य का खुलासा किया गया था कि विषयगत भूमि को बैंक ऋण सुरक्षित करने के लिए बंधक रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद, एआईसीटीई ने 'बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली' के लिए मंजूरी दे दी और उसने कभी शिकायत नहीं की कि वह इस संबंध में किसी भी गलत सूचना के अधीन थी। इस प्रकार, धोखाधड़ी के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक घटक का अभाव है। केवल दूसरे और तीसरे आवेदनों को भरने में अपीलार्थियों की ओर से लापरवाही और स्वीकार किए गए तथ्यात्मक स्थिति पर, पहले आवेदन के एक

2 [2010] 11 एससीआर 788: (2010) 10 एससीसी 361

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हिस्से को भी जानबूझकर धोखे से प्रेरित नहीं माना जा सकता है, जिससे आपराधिक आरोप लगाए जा सकें।

22. इसके अलावा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता जानबूझकर एआईसीटीई को गलत जानकारी देने के लिए सहमत थे या साजिश कर रहे थे ताकि उनके कॉलेजों के लिए इसकी मंजूरी प्राप्त की जा सके। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता संख्या 1 ने बैंक ऋण और पट्टे पर दी गई भूमि पर बंधक के प्रासंगिक विवरण का खुलासा करते हुए पहला आवेदन दायर किया, लेकिन वह अपने द्वारा दायर तीसरे आवेदन में ऐसा करने में विफल रहे। अपीलकर्ता संख्या 2 ने उसका खुलासा न करते हुए दूसरा आवेदन दायर किया, लेकिन अपीलकर्ताओं द्वारा जानबूझकर और एक-दूसरे की मिलीभगत से इस संबंध में धोखे का सहारा लेने का कोई सबूत नहीं है। इसलिए आईपीसी की धारा 120 ख के तहत आरोप भी न्यायिक जांच का सामना नहीं कर सकता है।

23. जहां तक धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सीबीआई की याचिका की पोषणीयता के बारे में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति का संबंध है, हम ध्यान दें सकते हैं कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची में अनुच्छेद 131 के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 397 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण दायर करने के लिए परिसीमा अवधि 90 दिन है, चाहे वह उच्च न्यायालय के समक्ष हो या सत्र न्यायालय के समक्ष। हालाँकि धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है और यह किसी भी समय हो सकती है। यह अभिलेख की बात है कि जब विद्वान विशेष मजिस्ट्रेट, सीबीआई अदालत, ने अपीलार्थियों की उन्मोचन याचिका को पहली बार में खारिज कर दिया, तो उन्होंने धारा 397 सीआरपीसी के तहत सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया था और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया था। हालाँकि जब दूसरे दौर में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्वान विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थियों की उन्मोचन याचिका को अनुमति दी गई थी, तो सीबीआई ने इस मार्ग को अपनाने का विकल्प नहीं चुना। 90 दिनों की परिसीमा अवधि की समाप्ति के लंबे समय बाद, सीबीआई ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की। यह स्पष्ट रूप से धारा 397 सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण दाखिल करने की परिसीमा की बाधा को पार करने के लिए था। इस संबंध में, **मोहित उर्फ सोनू एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**³ मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लेना उपयोगी होगा, जिसमें इस प्रकार कहा गया था:

‘28. जहाँ तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में निहित उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का संबंध है, इस संबंध में कानून को इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किया गया है। हालांकि हम दोहराना चाहते हैं कि जब कोई आदेश, जो अंतर्वर्ती प्रकृति का नहीं है, को उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में चुनौती दी जा सकती है, तो उच्च न्यायालय के अन्तर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में एक रोक होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब शिकायत के निवारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया हो। यह सुस्थापित है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग सामान्य रूप से तब किया जा सकता है जब संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिसके तहत आक्षेपित आदेश को चुनौती दी जा सकती है।

29. अदालतों के पास अन्य कानूनों में भी अंतर्निहित शक्ति है जैसे कि सिविल प्रक्रिया अधिनियम (सीपीसी), धारा 151 जो ऐसी शक्ति से ही संबंधित है। सीपीसी की धारा 151 में कहा गया है:

3 [2013] 7 एससीआर 86: (2013) 7 एससीसी 789

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"151. न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति— इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है।"

30. पद्म सेन बनाम उ.प्र. राज्य [एआईआर 1961 एससी 218: (1961) 1 सीआरआई एलजे 322] के मामले में इस न्यायालय ने सीपीसी की धारा 151 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के बारे में कहा: (एआईआर पृष्ठ 219, पैरा 8)

"8. ... न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ संहिता द्वारा न्यायालय को विशेष रूप से प्रदान की गई शक्तियों के अतिरिक्त हैं। वे उन शक्तियों के पूरक हैं और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि न्यायालय संहिता की धारा 151 में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, जब उन शक्तियों का प्रयोग किसी भी तरह से संहिता में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई शक्तियों के विरोधाभास में या विधायिका के इरादों के विरुद्ध नहीं है। यह भी अच्छी तरह से माना जाता है कि अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जो संहिता में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई प्रक्रिया के विपरीत या उससे अलग हो।"

31. मनोहर लाल चोपड़ा बनाम सेठ हीरालाल [एआईआर 1962 एससी 527] में दिए गए एक संविधान पीठ के फैसले में, इस न्यायालय ने कहा कि: (एआईआर पृष्ठ 537, पैरा 43)

"43. ... न्यायसंगत आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता निस्संदेह संहिता की धारा 151 द्वारा पुष्ट की गई है, लेकिन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

[अंतर्निहित] अधिकार क्षेत्र का उपयोग सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है। जहां सिविल प्रक्रिया संहिता किसी विशेष मामले से स्पष्ट रूप से संबंधित है, वहां प्रावधान को आम तौर पर संपूर्ण माना जाना चाहिए।”

32. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सापेक्ष दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता को लागू करने वाले विधानमंडल के आशय से यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से कोई विशिष्ट उपाय प्रदान किया जाता है तो धारा 482 सीआरपीसी या धारा 151 सीपीसी के तहत अंतर्निहित शक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता है और न ही लिया जाना चाहिए।’

24. उपरोक्त आदेश के आलोक में, सीबीआई के पास यह विकल्प नहीं था कि वह धारा 397 सीआरपीसी के तहत उसके लिए उपलब्ध वैधानिक उपचार की लापरवाही से अनदेखी करे और उसके बाद धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर करने का सहारा ले।

25. हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि यदि उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण कानूनी रूप से संस्थित किया जाता है, लेकिन उसके बाद यह किसी अन्य आधार पर पोषणीय नहीं पाया जाता है, तो उच्च न्यायालय के पास यह विकल्प होगा कि वह उस मामले में न्याय करने के लिए इसे धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका के रूप में माने। हालांकि, विपरीत सादृश्यता सभी मामलों में लागू नहीं हो सकती है और उच्च न्यायालय के पास यह विकल्प नहीं होगा कि वह परिसीमा सहित अन्य मुद्दों के संदर्भ के बिना धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका को धारा 397 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका के रूप में आंख मूंदकर परिवर्तित करे या मान ले। जब पुनरीक्षण का विशिष्ट उपाय सीबीआई के पास उपलब्ध था, तो वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी और धारा 482

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सीआरपीसी के तहत याचिका दायर नहीं कर सकती थी। इसलिए हम इस बात पर भी अपीलकर्ताओं के पक्ष में इसे पाते हैं।

26. उपरोक्त विश्लेषण पर हमारी राय है कि विद्वान मजिस्ट्रेट धारा 239 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने और वाद संख्या 456/2012 के संबंध में अपीलार्थियों को आपराधिक कार्यवाही से उन्मोचित करने में पूरी तरह से उचित था। उच्च न्यायालय ने एक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया और व्यावहारिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी जानबूझकर प्रासंगिक जानकारी को छिपाने के दोषी थे ताकि धोखाधड़ी के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष स्वीकार किए गए तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है, जो पहले आवेदन किए जाने पर शुरुआत में बंधक के प्रकटीकरण का संकेत देते हैं और इसलिए, यह निष्कर्ष निकालने की कोई संभावना नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 120 क के तहत छिपाव का अवैधानिक कार्य करने की साजिश रची। इसके अलावा, एआईसीटीई ने खुद कभी यह दावा नहीं किया कि उसे इस तरह की मंजूरी देने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया गया था और यह आवश्यक कड़ी पूरी तरह से गायब है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी के किसी भी आपराधिक आरोप को कायम रखा जा सकता हो। इसलिए सीआरपीसी की धारा 482 के अन्तर्गत आवेदन संख्या 11426/2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.01.2023 के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया जाता है और वाद संख्या 456/2012 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई अदालत, गाजियाबाद द्वारा पारित उन्मोचन आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं को मुकदमा अपराध संख्या 219/2011 (ई) 0016 में धारा 420 और 120 ख आईपीसी के तहत कथित अपराध से उन्मोचित माना जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तदनुसार दायित्विक अपील को अनुमति दी जाती है।

लंबित आवेदन समाप्त माने जाएंगे।

हेडनोट तैयारकर्ता:

वाद का परिणाम:

हिमांशु राय, मानद सहयोगी संपादक

अपील को अनुमति दी गई।

(सत्यापन द्वारा: अभिनव मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।